अंचल अधिकारी का न्यायालय, सरिया (गिरिडीह)

केश का प्रकार- विविध ई-राजस्व न्यायालय वाद सं0- 15/2020-21

सुरेन्द्र बर्मन, नलिन कुमार सिन्हा .... प्रथम पक्ष

बनाम्

(1) शिबु मंडल

(2) धरम महतो

(3) एतवारी महतो.. द्वितीय पक्ष

आदेश

दिनांक ......15/12/2020...... अभिलेख आदेशार्थ प्रस्तुत। यह वाद शिवशंकर रॉय के द्वारा मुख्तारनामा दिनांक 20.11.2018 के माध्यम से अधिकृत किए गये आवेदक सुरेन्द्र बर्मन पिता- सहदेव प्रसाद सोनार, नलिन कुमार सिन्हा पिता- अनिल कुमार सिन्हा के आवेदन के आधार पर दर्ज किया गया। आवेदकगण् द्वारा भूमि जिसका विवरण निम्न प्रकार है के सीमाकंन हेतु आवेदन दिया गया।

भूमि का विवरण

मौजा/थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	श्रकवा
बड़की सरिया/44	154	192	0.05ए0
	154	193	0.50ए0
	154	177	0.22ए0
	154	195	0.08ए0
	21	178	0.52ए0
	76	196	0.45ए0
	76	197	0.07ए0
		कुल	1.89ए0

आवेदन प्राप्ति के पश्चात हल्का राजस्व उप निरीक्षक एंव अंचल अमीन से स्थल जाँच करते हुए जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। इसके उपरान्त राजस्व उप निरीक्षक एंव अंचल अमीन द्वारा जाँच प्रतिवेदन कार्यालय में समर्पित किया गया जिसमें उपरोक्त प्लॉटों पर विभिन्न व्यक्तियों का कब्जा दर्शाया गया जो निम्न प्रकार है-

1. शिबु मंडल उर्फ भुवनेश्वर मंडल-

मौजा/थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	श्रकवा
बड़की सरिया/44	154	192	0.05ए0
	154	193	0.50ए0

	154	177	0.22ए0
	154	195	0.08ए0
	21	178	0.52ए0
		कुल	1.37ए0

2. धरम महतो–

मौजा/थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
बड़की सरिया/44	154	195	0.15ए0

3. एतवारी महतो

मौजा/थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
बड़की सरिया/44	76	196	0.10ए0
	76	197	0.07ए0
		कुल	0.17ए0

वाद की प्रक्रिया प्रारंभ कर उपरोक्त तीनों व्यक्तियों को इस वाद में पक्षकार बनाते हुए उभय पक्षों को अपन पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तत्पश्चात पक्षकारों द्वारा अपना-अपना कागजात कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत कागजातों एंव स्थल जाँच के आधार पर राजस्व उप निरीक्षक तथा अंचल निरीक्षक द्वारा बिन्दुवार प्रतिवेदित किया गया जो निम्न प्रकार है :-

1. यह कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न कागजातो से ज्ञात होता है कि आवेदक श्री नलीन कुमार सिन्हा एंव सुरेन्द्र वर्मन को पावर ऑफ एटॉरनी नं0 4 1606.00 816/2018 दिनांक 20.11.2018 द्वारा मौजा सरिया कला, थाना नं0 44 के अर्न्तगत निम्न भूमि का पावरनामा श्री शिवशंकर राय पिता– प्रोतिमा चन्द राय से प्राप्त है।

भूमि का विवरण

मौजा/थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
बड़की सरिया/44	154	192	0.05ए0
	154	193	0.50ए0
	154	177	0.22ए0
	154	195	0.08ए0
	21	178	0.52ए0
	76	196	0.45ए0
	76	197	0.07ए0
		कुल	1.89ए0

2. प्रस्तुत किए गए कागजातों से ज्ञात होता है कि पावरदाता श्री शिवशंकर राय पिता– स्व0

प्रोतीमा चन्द राय के दादा वगैरह को निम्न प्रकार प्राप्त है–

कं	ग्राम का नाम	खाता नं0	प्लॉट सं0	रकवा	केता का नाम एंव पिता नाम	रजिस्टी डीड एंव तिथि
1	सरिया कला	154	193	0.50ए0	श्रीधर चन्द राय पिता– स्व0 चन्द्रनाथ राय	998/23.09.1935
			192	0.05ए0		
			177	0.22ए0		
			195	0.08ए0		
2	सरिया कला	76, 77	196	0.67ए0	उपरोक्त	4322/30.10.1942
			197			
			195			
3	सरिया कला	76, 77	2-1-0 (दो बीघा 1कट्ठा)		1. प्रोतिमा चन्द राय 2. प्रदेव प्रसाद राय पिता– श्रीधर चन्द राय	1518/04.05.1976
4	सरिया कला	21	178	0.52ए0	श्रीधर चन्द राय पिता– बाबु चन्द्रनाथ राय	

3. उपरोक्त वर्णित दस्तावेज नं0 1998 दिनांक– 23.09.1935 एंव 4322 दिनांक 30.10.1942 का कबूलियत भी केता श्रीधर चन्द्र राय ने रजिस्टी डीड नं0 1999 दिनांक 23.09.1935 एंव डीड नं0 4323 दिनांक 30.10.1942 द्वारा किया गया।
4. हल्का कार्यालय में उपलब्ध पंजी जिल्द सं0 IX के पेज नं0 157 में खाता सं0 154 प्लॉट सं0 1700 रकवा 0.85ए0 की जमाबंदी श्रीधर चन्द राय के नाम से दर्ज है, जिनकी कम्प्यूटर जनीत प्रति का छाया प्रति भी संलग्न है।
5. खाता सं0 21 रकवा 0.52ए0 की जमाबंदी पंजी0 2 के जिल्द सं0 12 के पेज नं0 22 में श्रीधर चन्द्र राय के नाम से दर्ज है जिनकी कम्प्यूटर जनीत प्रति का छाया प्रति भी संलग्न है।
6. खाता सं0 76 एंव 77 का लगान रसीद प्रस्तुत नहीं किया है, प्रस्तुत रजिस्टी डीड नं0 196, 197 एंव 195 रकवा 0.67ए0 तथा 2-1-0(दो बीघा 1कट्ठा) भूमि पावरदाता के दादा एंव पिता वगैरह को प्राप्त है।
7. यह कि द्वितीय पक्ष के शिबु मंडल उर्फ भुवनेश्वर मंडल द्वारा 1.37ए0 जमीन पर कब्जा का आधार मुख्तारनामा सं0 2241 दिनांक– 02.11.1998 है जो गौरीशंकर रॉय वो अन्य व्यक्तिों द्वारा दिया गया है।
8. यह कि एतवारी महतो द्वारा 0.17ए0 जमीन के कब्जा का आधार खतियान प्रस्तुत किया गया है।
8. यह कि धरम महतो को भूमि केवाला सं0 10510 दिनांक– 07.11.1977 के द्वारा हासील है।

द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कागजातों के संबंध में पावरदाता शिवशंकर रॉय के पुत्र शांतनु रॉय द्वारा अंचल कार्यालय में प्रस्तुत होकर आवेदक के बातों का समर्थन करते हुए मौखिक दलील दिया कि शिबु मंडल को हमारे इस सम्पति को देखभाल का जिम्मा दिया गया

था तथा उसके एवज में तय मासिक राशि भी दी जाती रही है। शिबु मंडल द्वारा गलत तरीके से हमारी जमीन पर कब्जा किया गया है। तथा धरम महतो वो एतवारी महतो द्वारा उनके समर्थन में प्रस्तुत किए गये कागजातों पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाये।

सभी पक्षकारों के कागजातों के अवलोकन तथा राजस्व उप निरीक्षक तथा अंचल अमीन के जाँच प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरांत यह स्पष्ट होता है कि यह मामला आपसी हक हकियत से संबधित है जिसके विषय में सक्षम न्यायालय द्वारा ही निर्णय लिया जा सकता है।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्षों को भेजें।

लेखापित।

15/12/2020

अंचल अधिकारी,
सरिया।

15/12/2020

अंचल अधिकारी,
सरिया।